



2026:AHC-LKO:8311-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 1117/2026

राइट्स लिमिटेड, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
श्री विजयानंद ज्ञानदेव घोटकर के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास,
लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	सुभाष बिसारिया
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., अभिनीत जायसवाल, शरद तिवारी

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अधिवक्ता श्री अभिनीत जायसवाल, ने विरोधी पक्ष सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थिति का ज्ञापन दाखिल किया है। इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष बिसारिया, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और विरोधी पक्षगण सं. 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनीत जायसवाल को सुना गया।
3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दाखिल की है:-

"क. प्रतिवादियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को बिल प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान किए जाने तक लागू जीएसटी सहित 6% प्रति वर्ष की दर से अद्यतन ब्याज सहित 9,80,23,236.61/- रुपये का भुगतान इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर जारी करें।"

4. विरोधी पक्ष सं. 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनीत जायसवाल ने कहा है कि बकाया राशि को छोड़कर 2 चालानों से संबंधित बकाया स्वीकार नहीं किया जाता है, जिनका भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

5. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि बकाया राशि का भुगतान कब होना था, तो उन्होंने बताया कि यह 2019 में हुआ था। उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दिनांक 06.07.2020 के पत्र में कहा गया है कि इस दस्तावेज में दो बीजकों के संबंध में बकाया राशि के भुगतान करने की देयता को स्वीकार किया गया है। हालांकि, यह पूछे जाने पर कि यदि इस स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए भी, यदि स्वीकृति के बावजूद भुगतान नहीं किया जाता है और वसूली के लिए वाद दाखिल किया जाता है, तो परिसीमा अवधि क्या होगी, विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत यह तीन वर्ष होगी। इसके अलावा, मध्यस्थता कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से भी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 43 के अंतर्गत परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है, जो तीन वर्ष है।

6. अब हम 2026 में हैं, इसलिए, हमें इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, बशर्ते कि विरोधी पक्ष सं. 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनीत जायसवाल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के इस बयान के अधीन है कि दिनांक 06.07.2020 के पत्र में उल्लिखित दो बीजकों से संबंधित स्वीकार किए गए बकाया राशि का भुगतान नियमों के अनुसार जल्द से जल्द किया जाएगा।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

4 फरवरी, 2026

आर.के.पी.